

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE**

LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 2185

TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 29th JULY, 2016

7 Shravana, 1938 (SAKA)

CST Compensation

**2185 : SHRI OM PRAKASH YADAV:
: SHRI DEVAJIBHAI G. FATEPARA:**

Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state:

- (a) whether the Government has made any specific policy to compensate Central Sales Tax (CST) losses to the States for 2013-14, 2014-15;
- (b) if so, the details thereof; and
- (c) if not, the reason therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE

(SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR)

(a): The Empowered Committee had recommended to pay 100% CST compensation for year 2010-11, 75% CST compensation for 2011-12 and 50% CST compensation for 2012-13. Union Cabinet in its meeting held on 17.03.2015 had approved payment of CST compensation as per EC recommendation. Accordingly, Central Government (Department of Revenue) has released total Rs. 17118.02 crore towards payment of CST compensation to the States/ UT's for the year 2010-11. Similarly, CST compensation to States/ UT's for year 2011-12 has been calculated as per EC recommendation and 2008 guidelines and total amount of Rs. 16315.25 crore, as CST compensation to States /UTs for year 2011-12, has been released in financial year 2015-16. CST compensation to States/ UT's for year 2012-13 is proposed to be paid in two installments in financial year 2016-17. Accordingly 1st installment of Rs. 5854.73 crore has been released in July 2016. Second installment is proposed to be released in second half of current financial year.

(b) & (c): Does not arise in view of reply to the part (a).

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 2185

(जिसका उत्तर शक्रवार, दिनांक 29 जुलाई, 2016/ 7 श्रावण, 1938 (शक) को दिया जाना है।)

सीएसटी प्रतिस्पर्धा

2185. श्री ओम प्रकाश यादव:
श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने 2013-14 और 2014-15 के लिए राज्यों को केन्द्रीय बिक्री पर हानियों की प्रतिपूर्ति करने हेतु कोई विशेष नीति बनाई है;
- (ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) : अधिकार प्राप्त समिति ने वर्ष 2010-11 के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति, वर्ष 2011-12 के लिए 75 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति और वर्ष 2012-13 के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर के क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की सिफारिश की थी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 17.03.2015 को हुई अपनी बैठक में, अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश के अनुसार, केन्द्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति का भुगतान अनुमोदित किया था। तदनुसार, केन्द्र सरकार (राजस्व विभाग) ने वर्ष 2010-11 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर के क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए 17118.02 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसी प्रकार, वर्ष 2011-12 के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले बिक्री-कर के क्षतिपूर्ति की गणना, अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश और वर्ष 2008 के दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई है तथा वर्ष 2011-12 के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले बिक्री कर के क्षतिपूर्ति के लिए वित्त वर्ष 2015-16 में 16315.25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वर्ष 2012-13 के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाला बिक्री कर की क्षतिपूर्ति, वित्त वर्ष 2016-17 में दो किस्तों में अदा किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार, 5854.73 करोड़ रुपए की पहली किस्त जुलाई, 2016 में जारी कर दी गई है। दूसरी किस्त, चालू वित्त वर्ष की द्वितीय छमाही में जारी की जानी प्रस्तावित है।

(ख) और (ग) : भाग (क) के उत्तर के मददेनजर प्रश्न नहीं उठता है।